न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 30 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. पोकरराम पुत्र सताराम जाति जाट निवासी धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी

बनाम

रेस्पोडेंटगण

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिणधरी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा प्रकरण संख्या 58 / 2019 बअनवान तहसीलदार सिणधरी बनाम पोकरराम में पारित आदेश दिनांक 07.04.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भंवरलाल चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरिराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 25.02.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1844 / 1 रकबा 21.02 बीघा ग्राम पोटलियों की ढाणी तहसील सिणधरी में अवस्थित हैं। उपरोक्त खेत में से अपीलांट ने दिनांक 17.06.2019 को बिना सक्षम अनुमति के उक्त खेत में खड़े रोहिड़े के हरे वृक्ष 30 पेड़ जड़ से उखाड़ कर गिरा दिये जो अलग–अलग जगह पर उक्त खेत में बिखरे पड़े है। इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर राजहित में उक्त वृक्षों को कुर्क कर पटवारी हल्का को सुपुर्द कर दिये गये। उक्त कुर्की व सुपुर्दगी खातेदार मौके पर उपस्थित थे व फर्द तैयार कर खातेदार व अन्य उपस्थित मौजीज व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये। पटवार हल्का होडू को कुर्क शुदा पेड़ो को अपनी निगरानी में सुरक्षित रखने हेतु जरिये पत्रांक 433 दिनांक 20.06.2019 को निर्देशित किया गया एवं अपीलांट के विरूद्ध धारा 86 राज.का.अधि. 1955 के तहत कार्यवाही करने हेतु आवेदन विचारण न्यायालय में पेश किया गया जिसमे पारित आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट अपीलाधीन आराजी पुश्तैनी खातेदार कृषक है पिछले वर्षो में अकाल पड़ने के कारण अपीलांट अपने खेत में काश्त 3–4 वर्षों से नहीं की जिसकी वजह से खेत में रोहिड़े की,

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

झाड़िये/जंगली झाड़िये व अन्य कई प्रकार की झाड़ियों से खेत भर गया है इस साल खेत में काश्त करने की नियत से खेत में सफाई कर खेत को खेती करने योग्य बनाने हेतु रोहिड़े की झाड़ियों से खेत भर गया है इस साल खेत में काश्त करने की नियत से खेत में सफाई कर खेत को खेती करने योग्य बनाने हेतु रोहिड़े की झाड़िये व अन्य झाड़िये हटाई गई हैं और खेत में कुछ रोहिड़े जो आधी से गिर गये व जमीन पर पड़े है वो भी बड़े वृक्ष नहीं थे छोटे–छोटे थे उनको हटाया गया। विप्रार्थी द्वारा कोई बड़े पेड़ नहीं काटे गये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए 29 रोहिड़े के पेड़ों का प्रत्येक पेड़ के 100 जुर्माना कुल 2900 रू का जुर्माना कायम किया व कुर्क शुदा जब्त शुदा रोहिड़े विप्रार्थी को सुपर्द करने का आदेश दिया गया। अपीलांट पर इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया कि अपीलांट ने व्यापार करने के लिये हरे वृक्ष काट कर परिवहन कर अवैध रूप से बैचान कर रहा था। इस कारण भी अपीलांट इस प्रकार के व्यापार करने का दोषी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अपने खातेदारी के खेत में से एक रोहिड़ा वृक्ष काटने की सक्षम स्वीकृति दी जाने के बावजूद उसने अपने खेत में से 30 हरे रोहिडों के वृक्ष काटकर धारा 86 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया। जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जुर्माना कायम किया गया जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विवेचन एवं अवलोकन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली का गंभिरता पूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मनन न्यायालय का निष्कर्ष है कि रेस्पोडेंट की ओर से मुख्य कथन किया कि अपीलांट द्वारा बिना अनुमति अवैध रूप से 30 हरे वृक्षों को काटे गये है, जबकि प्रार्थी पक्ष की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि अपीलांट द्वारा हरे वृक्षों की कटाई व्यापार के लिए की हो तथा जिसका परिवहन किया गया हो। इससे यह साफ जाहिर होता है कि अपीलांट द्वारा अपने घेरलू कार्य के लिए सुखे एवं गिरे हुए वृक्ष कटाई की गई है। रेस्पोडेंट यह कहीं साबित नहीं कर पाया है कि अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

द्वारा उक्त वृक्षों का व्यापार करने के लिए उक्त कार्य किया गया हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 84(2) से 84(4) में स्पष्ट प्रतिपादित है, कि कृषक सदभावी अथवा कृषि सम्बन्धी आवश्यकता के लिए बिना अनुमति भी वृक्ष हटवा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट भी इसी श्रेणी में आता है, क्योंकि अपीलांट द्वारा भी सदभावी घरेलू अथवा कृषि सम्बन्धी आवश्यकता के लिए उक्त कृत्य किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84 में खातेदार को कृषी एवं घरेलू कार्य के लिए वृक्ष कटाने की शक्ति प्रदान की गई है, तो हस्तगत प्रकरण में अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा प्रकरण संख्या 58/2019 बअनवान तहसीलदार सिणधरी बनाम पोकरराम में पारित आदेश दिनांक 07.04.2021 में संशोधन करते हुए अपीलांट पर अधिरोपित जुर्माना राशि रूपयें 2900/— को निरस्त करने के आदेश दिये जाते है तथा अपीलांट द्वारा उपरोक्त राशि राजकोष में जमा करवाई गई है तो नियमानुसार प्रक्रिया को अपनाते हुए लौटाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर